नम्बर व
अहकाम ज
की तामील में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 01.10.2020

ल संख्या:– 200/2019

वानी प्रार्थना पत्र :

अर्जुनलाल पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रार्थी–

बनाम

1. सोसर बेवा गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. फौरूलाल पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. मीरा पुत्री गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. कमलेशी पुत्री गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. गोरधन पुत्र केसरा जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. शोकरण पुत्र केसरा जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. रतिराम पुत्र केसरा जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. अम्बालाल पुत्र केसरा जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. मोत्या पुत्री केसरा जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. रतनी पुत्री केसरा जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. चतुर्भुज पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज0
12. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–

श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,
6 ता 8 व 11
एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5
9 ता 10

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात ख0नं0 1033 रकबा 1.25 है0 व ख. नं. 1034 रक 0.56 है0 वाके ग्राम जेल पटवार हल्का गुराई तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात में आने जाने व कृषि यंत्र व जानवर लाने ले जाने अप्रार्थीगण 1 ता 11 की खातेदारी की आराजीयात ख. नं. 1031 रकबा 1.40 है0 व ख. 1032 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम जेल तहसील दूनी जिला टोंक राज. में स्थित है, में से हो ग्राम बिजल्बा की सीमा के पास में ख. नं. 1031 व 1032 की मेंड़ के सहारे सहारे 20 प चौड़ा रास्ता आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु दिलवाया जाना नितान्त आवश्यक

प्रार्थी पूर्व में ख. नं. 1030 के सहारे सहारे ख. नं. 1031 व 1032 की मेड़ के सहारे सहारे होकर आता जाता रहता था लेकिन प्रार्थी के आने जाने हेतु उक्त रास्ता रिकॉर्ड में नही होने से अप्रार्थीगण 1 ता 11 ने ख. नं. 1030 की मेड़ के सहारे सहारे ख. नं. 1031 व 1032 में फार्म पोण्ड बनवा लिया जिसके कारण प्रार्थी को अपनी आराजीयामत में आने जाने को कोई रास्ता नही रहा व रिकॉर्ड में कोई रास्ता नही होने की वजह से प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा अपने खेतो में आने जाने के लिये मना कर दिया व लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये। इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी की उक्त आराजियात में आने जाने के लिये रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थी के पास अपनी उक्त आराजीयात में आने जाने को अन्य कोई रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी को ख. नं. 1031 व 1032 में से ग्राम बिजल्बा की सीमा की मेड़ के पास से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व 9 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 8 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल मीणा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 8 व 11 ने 9 महिने व 19 तारीख पेशीयों में भी वकालतनामा पेश नहीं करने से इनका जवाब बन्द किया गया।

तहसीलदार दूनी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1033, 1034 पर आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रस्तावित रास्ते की ख. नं. 1031 में चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 48 मीटर अर्थात 288 वर्ग मीटर, ख. नं. 1032 में चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 40 मीटर अर्थात 240 वर्ग मीटर, कुल क्षैत्रफल 528 वर्ग मीटर होगा, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,63,340/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। डी.एल.सी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 13904/– रूपये होती है। आवेदक की आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ग्राम जेल के ख. नं. 1031 एवं 1032 में से रास्ता चाहता हे। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड, दीवार, पक्का निर्माण नही है। अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत नही है। मौका रिपोर्ट, मूल नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, डीएलसी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अतः रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में रास्ते की आवश्यकता तो बताई परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि अन्य खसरा नम्बर से भी रास्ता दिया जा सकता है परन्तु उन्होंने अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 2 ख0नं0 1033 रकबा 1.25 है0, खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.56 है0 मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 व 9 ता 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इन अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर की ख. नं. 1031 में चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 48 मीटर अर्थात 288 वर्ग मीटर, ख. नं. 1032 में चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 40 मीटर अर्थात 240 वर्ग मीटर, कुल क्षैत्रफल 528 वर्ग मीटर होगा, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,63,340/– रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार कुल क्षैत्रफल 528 वर्गमीटर की डी.एल.सी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 13904/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी/अप्राथीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान करे । उक्तानुसार बाद तरमीम रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली